

न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थित: विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code — UP 1893

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 537/2026

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०- 1395/2026

(CNR No: UPGZ010031322026)



पिंकी गुप्ता पत्नी चन्द्रकान्त गुप्ता, उम्र करीब 48 वर्ष, निवासी-868 एफ जाहरवीर वाली गली मंदिर ब्रह्मपुरी, जिला मेरठ।

.....आवेदिका/अभियुक्ता

बनाम

उ०प्र०सरकार

... विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या 736/2024

धारा- 85, 115(2), 352 बी.एन.एस.

एवं ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना -मोदीनगर, जिला गाजियाबाद।

03.06.2026

- यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदिका/अभियुक्ता पिंकी गुप्ता की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- पक्षकारों के अनुरोध पर मामले को मध्यस्थता केन्द्र प्रेषित किया गया। मध्यस्थता केन्द्र से आख्या प्राप्त हुई जिसमें यह उल्लिखित है कि पक्षकार लगातार मध्यस्थता केन्द्र में अनुपस्थित रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मध्यस्थता की प्रक्रिया में नहीं आना चाहते हैं।
- आवेदिका/अभियुक्ता की तरफ से इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।
- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती डोली गर्ग ने दिनांक 24.10.2024 को थाना मोदीनगर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है कि वादिनी की शादी दिनांक 17.01.2024 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अभिषेक गुप्ता से हुई थी जिसमें वादिनी की माता व भाई द्वारा लगभग 16 लाख रुपये खर्च किये थे। शादी के पश्चात माह मार्च 2024 से वादिनी के ससुराल वाले पति अभिषेक गुप्ता, देवर हिमांशु गुप्ता तथा सास पिंकी गुप्ता व मौसी अंजू शादी में कम दहेज लाने की बावत वादिनी के साथ गाली गलौज व मारपीट करते तथा वादिनी के मायके वालों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे तथा वादिनी को तंग व परेशान करने लगे तथा दहेज में 5 लाख रुपये व एक स्विफ्ट गाडी की मांग करते थे। माह मई 2024 में वादिनी के देवर द्वारा वादिनी के साथ आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए जबरदस्ती गलत काम करने की नियत से वादिनी का कमरा बन्द कर वादिनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वादिनी द्वारा जब शोर मचाया गया तो सास के आने पर वादिनी का देवर गेट खोलकर भाग गया। वादिनी के पति द्वारा वादिनी के साथ कई बार अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाये गये। जब वादिनी उक्त का विरोध करती तो पति अभिषेक वादिनी को लात घूसों व बैल्ट से मारता था। उसके उपरान्त भी उसके ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीडन करते रहते थे।
- आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से कथन किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गयी और न ही दहेज की मांग को लेकर प्रताडित किया गया है। वादिनी मुकदमा आवेदिका/अभियुक्ता के तथा परिजनों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करती है और समझाने पर गालियां देकर अपमानित

करती है। आवेदिका/अभियुक्ता पीड़िता की सास है। कथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदिका/अभियुक्ता सम्मानित परिवार का सदस्या है। पुलिस आवेदिका/अभियुक्ता को गिरफ्तार करना चाहती है।

6. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य परिजनों के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा से अतिरिक्त दहेज में 5 लाख रुपये व एक स्विफ्ट कार की मांग की गयी तथा दहेज की मांग पूरी न होने पर वादिनी के साथ मारपीट, गाली-गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। अग्रिम जमानत का कोई आधार नहीं है।

7. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्क सुने गये तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य परिजनों के साथ मिलकर वादिनी से अतिरिक्त दहेज में 5 लाख रुपये व एक स्विफ्ट कार की मांग करने तथा दहेज की मांग पूरी न करने के कारण वादिनी को शारीरिक व मानसिक रूपसे प्रताड़ित किये जाने का आरोप है। आवेदक/ अभियुक्त पीड़िता की सास है। पक्षकारों के मध्य वैवाहिक संबंधों को लेकर विवाद है। अपराध की धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। दौरान विवेचना धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. का नोटिस दिया गया है। मामले में विवेचना उपरान्त आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आवेदिका/अभियुक्ता आज दिनांक तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर है।

8. उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये, आवेदिका/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदिका/अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता पंकी गुप्ता की ओर से उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा अंकन 50,000/-रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन अविलम्ब अथवा अधिकतम अन्दर 10 दिन सम्बन्धित न्यायालय में दाखिल करने पर उसे अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तानुसार रिहा किया जाए-

- (i) आवेदिका/अभियुक्ता विचारण में सहयोग करेगी तथा न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित होगी।
- (ii) आवेदिका/अभियुक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगी जिससे कि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।
- (iii) आवेदिका/अभियुक्ता न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।
- (iv) आवेदिका/अभियुक्ता अन्य किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगी।
- (v) उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन पर सम्बन्धित न्यायालय /परीक्षण न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह कभी भी अभियुक्ता की गिरफ्तारी के लिये द०प्र०सं० में दिये गये प्रपीडनात्मक कार्यवाहियों का उपयोग कर सकती है तथा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अभिरक्षा में लिये जाने के पश्चात अभियुक्त को तभी रिहा किया जाएगा जब उसके द्वारा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय के समक्ष पुनः नये सिरे से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(विनोद सिंह रावत)

सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

दि० 03.06.2026